

**किसान समृद्धि योजना के लिए आवेदन  
(व्यक्तिगत किसान के लिए)**

आवेदक						
समूह का नाम (यदि समूह के माध्यम से आवेदन कर रहा है)						
पिता/पति का नाम						
उम्र						
लिंग						
जिला						
प्रखण्ड						
पंचायत						
ग्राम						
जाति	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य					
कुल रकबा (एकड़ में)						
<b>जमीन का विवरण</b>						
क्रम संख्या	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)	रकबा (डिस्मिल में)	कुल	
<b>फसल का विवरण</b>						
क्रम संख्या	फसल का नाम			रकबा	उपज	
सिंचाई जल स्रोत	नदी/तालाब/डोभा/कुंआ					
आधार संख्या						
मोबाइल नंबर						
<p>मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं योजना के निर्देशिका के अनुसार पात्र आवेदक हूं। किसी भी समय मेरे द्वारा घोषित जानकारी गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। मैं अपना आधार कार्ड स्वेच्छा से दे रहा हूं। मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि योजना का लाभ लेने के लिए मैं Escrow Bank Account में 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैंने इस तरह की योजना का लाभ किसी भी सरकारी योजना में नहीं लिया है तथा मेरे पास इस तरह की इकाई नहीं है। मैं अपने परिवार से इस योजना हेतु एकल आवेदन कर रहा/रही हूं। मैं समूह के सदस्य के रूप में नहीं कर रहा/रही हूं।</p>						
<b>संलग्नक:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. राशन कार्ड का फोटो कॉपी</li> <li>2. जमीन का मालगुजारी रसोद का फोटो कॉपी</li> <li>3. आधार कार्ड का फोटो कॉपी</li> <li>4. वंशावली/शपथ पत्र की फोटो कॉपी</li> <li>5. PM Kisan का पंजीकृत प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी</li> <li>6. जल स्रोत का प्रमाण—पत्र (ग्राम सभा द्वारा)</li> </ol>			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: right;">अनुमोदित</p> <p>ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर तथा मोहर Mob. No.— दिनांक—</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: left;">आवेदक का हस्ताक्षर</p> </div> </div>			

**नोट:-** आवेदक सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

**प्रपत्र-‘ख’**

अनुलग्नक-॥

**कृषि समूहिं योजना**

कृषक समूह/ महिला स्वयं सहायता समूह के लिए आवेदन पत्र  
(समूह में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। एक आवेदन पत्र में अधिकतम 10 सदस्यों के लिए आवेदन किया जा सकता है। 10 से ज्यादा सदस्यों के लिए अलग से नया आवेदन किया जा सकता है। एक समूह एक वर्ष में अधिकतम दो ही आवेदन कर सकता है।)

क्र. सं.	सदस्य का नाम	आधार नंबर	समूह के सदस्यों एवं कृषि भूमि का विवरण	
			आधार लिंकड मोबाइल नंबर	भूमि का विवरण
खाता नंबर	प्लाट/क्षेत्र नंबर	खाता नंबर	एकड़ नंबर	डिस्ट्रिक्शन
1				
2				
3				
4				



**प्रपत्र-'ग'**

अनुलोदक-|||

**कृषि समर्पित योजना**

कृषक उत्पादक संस्था/कृषक उत्पादक कंपनी/ लैम्पस/पैक्स के लिए आवेदन पत्र<sup>1</sup>  
 (एक आवेदन पत्र में अधिकतम 10 शारहोल्डर्स के लिए आवेदन किया जा सकता है। 10 से ज्यादा शारहोल्डर्स के लिए अलग से नया आवेदन किया जा सकता है। एक संस्था एक वर्ष में अधिकतम दो ही आवेदन कर सकता है।)

कृषक समूह/महिला स्वयं सहायता समूह का पंजीकृत नाम					
संस्था के गठन का प्रकार (टिक करें)	कंपनी रजिस्ट्रर	नाबाई	NCDC	NAFED	SFAC
पंजीकरण संभाली:					निवंशक सहकारी समितियां
संस्था के GST नंबर/ PAN/TAN नंबर					
गठन के तारीख					
कुल शेयरहोल्डर सदस्यों की संख्या					
संस्था के अधिकृत पदाधिकारी का नाम जो संस्था की और से आवेदन भरेंगे					
मोबाइल नंबर (आधार लिंकड)					
आधार नंबर					
समूह का पता-ग्राम					
प्रखंड					
जिला					
क्र. शेयरहोल्डर सदस्य का आधार नंबर	आधार लिंकड मोबाइल नंबर	भूमि का विवरण जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं	भूमि का विवरण		
सं.	नाम	नौजा-	खाता नंबर	प्लाट/क्लेस्या	रक्का
1					
2					
3					
4					

5
6
7
8
9
10

कुल रकमा

#### संस्था द्वारा खेती का विवरण :

क्रम संख्या	फसल का नाम			रकमा (एकड़ में)
	सिंचाई जल स्रोत	नदी	तालाब	

#### घोषणा/सहकारि

यह संस्था के घोषणा करती है कि योजना के प्रचालन निर्देशिका के अनुसार संस्था पात्र आवेदक है और ऊपर दी गयी जानकारी सही एवं सत्य है। संस्था योजना का लाभ लेने के लिए संस्था द्वारा एस्क्रॉल (Escrow) बैंक अकाउंट में 10% की अंशदान की राशि जमा करेगी। समूह यह भी घोषणा करता है की इस संस्था द्वारा पूर्व में इस तरह की योजना का लाभ किसी भी खोत से नहीं लिया गया है और ना ही आवेदन में दिए गए सदस्यों के पास या उनके परिवार के पास ऐसी कोई इकाई है। संस्था के आवेदन करने वाले कोई भी सदस्य या उनके परिवार के सदस्य इस योजना अलग से व्यक्तिगत आवेदन नहीं कर रहे हैं। संस्था के सदस्यों की ओर से अधिकृत पदाधिकारी e-KYC कराएंगे।

#### अनुमोदित

1. सभी आवेदन करने वाले सदस्यों (अधिकृत पदाधिकारी सहित जिनका e-KYC किया जाना है )

का आधार काहू का फोटो कॉपी

2. सभी आवेदन करने वाले सदस्यों (अधिकृत पदाधिकारी सहित जिनका e-KYC किया जाना है )

राशन काहू की फोटो कॉपी

3. सभी आवेदन करने वाले सदस्यों (अधिकृत पदाधिकारी सहित जिनका e-KYC किया जाना है )

जमीन का मालगुजारी रसीद

4. संस्था पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी

5. GST / PAN / TAN की फोटो कॉपी

नोट— आवेदक सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। बुटि पाये जाने पर आवेदन विस्तृत किया जा सकता है।

मोबाइल नंबर:  
दिनांक—

ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर तथा मोहर

प्रपत्र-‘घ’

किसान समृद्धि योजना

Verification report of installed unit by PD ATMA

प्रपत्र-'ड.'

## किसान समृद्धि योजना

### आवेदक द्वारा संतुष्टि पत्र तथा भुगतान हेतु अनुरोध पत्र

सेवा में,

दिनांक-

जिला कृषि पदाधिकारी,  
जिला-.....

महाशय,

मैं .....आधार संख्या.....अध्यक्ष/सक्षम  
 पदाधिकारी (समूह/FPO/FPC/LAMPS/PACS का नाम).....  
 ग्राम.....पंचायत.....प्रखण्ड.....  
 सूचित करता हूं कि श्री ..... आधार सं0.....  
 को किसान समृद्धि योजना अन्तर्गत 2HP/5HP सोलर पम्प इकाई का अधिष्ठापन उक्त  
 योजना हेतु अधिसूचित ..... कम्पनी द्वारा किया गया  
 है और मैं इकाई अधिष्ठापन के कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट हूं।

अतः अनुरोध है कि उक्त कम्पनी को देय राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

आवेदक का नाम/समूह के अध्यक्ष/सक्षम पदाधिकारी का नाम

मोबाईल सं0-

दिनांक-